

सरकार ने CAA के तहत नागरिकता देना शुरू किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गृह मंत्रालय ने घोषणा की कि सरकार ने पश्चिमि बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में [नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2024](#) के तहत नागरिकता प्रदान करना शुरू कर दिया है।

मुख्य बिंदु:

- 15 मई को, केंद्रीय गृह सचिव द्वारा नई दिल्ली में उम्मीदवारों को नागरिकता प्रमाण-पत्र का प्रारंभिक बैच प्रस्तुत किया गया, जो दिल्ली में अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित **नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024** के जारी होने के बाद किया गया।
- गृह मंत्रालय द्वारा 11 मार्च 2024 को जारी नागरिकता संशोधन नियम, 2024 ने **CAA के कार्यान्वयन** का रास्ता साफ कर दिया है, जैसा **वर्ष 2019 में संसद द्वारा अनुमोदित** किया गया था।
 - दश-नरिदेशों के अनुसार, **पाकस्तान, अफगानस्तान और बांग्लादेश के छह अल्पसंख्यक समूहों के प्रवासी** पूर्वव्यापी प्रभाव से CAA के तहत भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन कर सकते हैं।
- CAA- 2019 के संशोधन** के तहत, जो प्रवासी 31 दिसंबर 2014 तक भारत पहुँचे थे और जिन्हें अपने देश में **"धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था या धार्मिक उत्पीड़न की आशंका थी"** वे नए कानून के तहत नागरिकता के लिये पात्र हो गए।
 - इन प्रवासियों को **छह वर्ष के भीतर त्वरित भारतीय नागरिकता प्रदान** की जाएगी। संशोधन ने इन प्रवासियों के देशीकरण/नागरिकीकरण के लिये **नविस की आवश्यकता को ग्यारह वर्ष से घटाकर पाँच वर्ष** कर दिया।

What the rules state

Centre has implemented CAA, 4yrs after the law was passed, as it notified rules ahead of expected announcement of LS polls

THE 39-PAGE NOTIFICATION... of the Citizenship (Amendment) Rules, 2024

...STATES THAT AN APPLICANT WILL HAVE TO SUBMIT

- | | | |
|--|---|--|
| • Form VIII A, with affidavits verifying statements and character of applicant | • Declaration that they have adequate knowledge of a language specified in 8th schedule of Constitution | • Supporting papers like a passport, or identity document to show someone in lineage was a citizen of one of the three countries |
|--|---|--|

APPLICANT MUST ALSO PROVE

- | | |
|--|--|
| 1 They entered India before December 31, 2014 | 2 The applicant or either of his parents was a citizen of Independent India |
|--|--|

WHAT IS THE 2019 ACT?

CAA made people from Hindu, Sikh, Jain Buddhist, Christian and Parsi faiths who entered India from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan eligible for citizenship

